रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2010/पौष 10, 1932
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2010/PAUSA 10, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2010

सं. एल-1/44/2010-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 को तारीख 16-6-2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4, सं. 162) में अधिसूचित किया गया था तथा उक्त विनियम, 1-1-2011 से प्रवृत्त हैं।

उक्त विनियमों को 1-1-2011 से प्रवृत्त करने में कुछ कठिनाईयां उद्भूत हो गई हैं क्योंकि उक्त विनियमों के अधीन अपेक्षित कतिपय प्रक्रियाओं तथा तंत्रों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा वे तदुपरांत प्रवृत्त किए जाएंगे।

आयोग, विनियमों के विनियम 21(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 की प्रवृत्त होने वाली तारीख 1-1-2011 को 1-4-2011 के रूप में अधिसूचित करता है।

अतः, अब, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010, 1-4-2011 से प्रवृत्त होंगे।

पंकज बत्रा, प्रमुख (इंजी.)

[विज्ञापन III/4/असा./150/10]

49 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India
and Published by the Controll